न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

प्रकरण संख्याः– 2025 / 18

राज. सरकार

बनाम

बलवीर पुत्र खेताराम जाति ब्राह्मण साकिन पिचकराई।

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः– 23.09.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का पिचकराई ने एक रिर्पोट पी–14 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी बलवीर पुत्र खेताराम जाति ब्राह्मण साकिन पिचकराई द्वारा रौही मौजा 6 आरपीएम के प.न. 297 / 394 (44) के कि.न. 1, 9, 10 प्रत्येक रक्बा 0.253 है0 इसप्रकार कुल 0.759 है0 किस्म सिवायचक भूमि पर ग्वार फसल अप्रार्थी द्वारा नाजायज काश्त करने संबंधित रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज. उपनिवेषन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत हेतुक दर्षित के लिये सूचना संख्यांक–4 नोटिस दिया गया जो अप्रार्थी से तामिल होकर प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने जवाब पेश नही किया अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध पेश की गई रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अप्रार्थी द्वारा सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमी करने के कारण **बलवीर** को अतिक्रमी घोषित किया जाता है अतिक्रमी करने पर 500 रूपए तावान से दण्डित किया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकर मांग कायम करें।

भू अभिलेख निरीक्षक जसाना के नाम अलग से आदेश जारी हो कि बहक सरकार कुर्क सुदा फसल की निलामी करवाई जाकर राशि राजकोष में जमा हो एवं अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर